प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 16/2022

अनवान : –

1. मोनिका पत्नी नथमल जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।

–**प्रार्थीया**

बनाम्

1. गंगा पुत्री धनपत उर्फ धर्मपाल जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र धनपत उर्फ धर्मपाल जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नी धनपत उर्फ धर्मपाल जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री रूकमा जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. कलावती पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. किशनलाल पुत्र रूकमा जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. नाबालिग पुत्र गणपत पुत्र सुरजा–फौत
   7/1 रेशम पत्नी गणपत जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
   7/2 सन्तोष पुत्री गणपत जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
   7/3 परसाराम पुत्र गणपत जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
   7/4 कालुराम पुत्र गणपत जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
   7/5 रोहीताष पुत्र गणपत जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. जगदीश पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. दीपाराम पुत्र रूकमा जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
10. पृथ्वी पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
11. भागी पुत्री रूकमा जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
12. मन्जु पुत्री रूकमा जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
13. रामजस पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
14. विनोद पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
15. श्योपतराम पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
16. सरजीत पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट</u>

उपस्थिति :–**1. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांक: 3/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 530/33 के [illegible] 941/299 की कुल 3.0630है0 भूमि की प्रार्थीया तथा रोही मौजा खुंईयां [illegible]/372 की कुल 15.8850है0 भूमि में से अप्रार्थी स0 1 का 611/3177 हिस्सा [illegible] अप्रार्थी स0 2 का [illegible]/5295 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अप्रार्थी स0 3 का 3503/15885 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 63/60 की कुल कुल 9.5890है0 भूमि में से अप्रार्थी स0 3 का 614/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 5 का 369/9589 हिस्सा, अप्रार्थी स0 6 का 614/47945 हिस्सा, अप्रार्थी स0 का 7 का 614/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 3 का 3441/9589 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 9 का 5534/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 10 का 614/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 11 का 369/9589 हिस्सा, अप्रार्थी स0 12 का 614/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 13 का 5534/47945 हिस्सा, अप्रार्थीया स0 14 का 369/9589 हिस्सा, अप्रार्थी स0 15 का 5534/447945 हिस्सा, अप्रार्थी स0 16 का 5534/47945 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया गांव से सुरजनसर को जाने वाली सड़क से होते हुए रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 290/2 के दक्षिण पूर्वी कोने से एवं ख0न0 300 में पश्चिम पासा की तरफ उतर से दक्षिण लम्बवत (नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित मय रास्ता) से चलकर अपने खेत में ख0न0 391/272 में प्रवेश कर जाती है, यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। प्रार्थीया का हमेशा से ही उक्त रास्ता से आवागमन रहा है इसके सिवाय अन्य कोई आवागमन का वैकल्पिक रास्ता नही है, यही रास्ता निकटतम व लघुतम दूरी पर है। प्रार्थीया द्वारा चाहा जा रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायालन स0 1 ता 16 आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है, इसलिए प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृति करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया अप्रार्थीगण की भूमि जो रास्ते में आयेगी उसके बदले बाजार भाव से कीमत अथवा भूमि के बदले भूमि देने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान के नाम रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 290/2 के दक्षिण पूर्वी कोने से ख0न0 300 में पश्चिम पासा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बवत दो–दो गठठा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल स0 5,, 7/1 ता 7/5, 8, 10, 13, 14, 15, 16 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश इस आशय का पेश किया गया कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 290/2 के दक्षिण पूर्वी कोने से ख0न0 300 में पश्चिम पासा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बवत रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई एतराज नही है। नोटिस सम्यक तामील होने के उपरान्त भी अप्रार्थी स0 1 ता 4, 6, 9, 11, 12 उपस्थित नही न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ अतः अप्रार्थी स0 1 ता 4, 6, 9, 11, 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] तहसीलदार नोहर द्वारा द्वारा अपने पत्रांक 1429 दिनांक 12.10.2022 [illegible] रिपोर्ट [illegible] की पेश कि गई की प्रार्थीया को खेत में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है अतः [illegible] को रास्ता दिया जाना अत्यंन्त आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) में प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव
3. नया मार्ग निकटतम / लघुतक रूट से हो

तहसीलदार नोहर के मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नोहर प्रार्थीया के लिए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं प्रार्थीया के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव भी है। अतः रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और वैकल्पिक रास्ते के अभाव में मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे मौजा खुंईया तहसील नोहर के ख0न0 290 / 2 के दक्षिण पूर्वी कोने से ख0न0 300 में पश्चिम पासा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बवत दो–दो गठठा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की एवज में प्रार्थीया द्वार डीएलसी रेट की दुगुनी राशि तहसील कार्यालय में जमा करवायेंगे तथा तहसीलदार नोहर राशि जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर चालू करवाना सुनिश्चित करे एवं नियमानुसार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.23 को मेरे प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–खुईंया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:26 IST
Reason: SelfAttested